दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथिः 21 मार्च, 2023

रि.या.(सि.) 3508/2023, सि.वि.आ. 13579/2023

एन. सी. सुंदर सिंह एवं अन्य ....याचीगण

द्वारा : श्री निखिल भारद्वाज, अधिवक्ता।

बनाम

भारत का संघ एवं अन्य ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री सैयद अब्दुल हसीब और सुश्री थीपा मुरुगेसन, अधिवक्तागण के साथ श्री हेमद्रा सिंह बीएसएफ के उपायुक्त (कानून)।

कोरम :
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

निर्णय (मौखिक)

<u>सि.वि.आ. 13579/2023 (छूट की मांग करते हुए)</u>

1. न्यायसंगत अपवादों के अधीन अनुमति दी जाती है।

2. आवेदन का निपटान किया जाता है।

<u>रि.या.(सि.) 3508/2023</u>

3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत वर्तमान रिट याचिका याचीगण की ओर से दायर की गई है, जो निम्नलिखित राहत की मांग करते हैं:

> "(i) परमादेश रिट या कोई अन्य रिट, निर्देश या आदेश जारी करें जिसके द्वारा प्रत्यर्थीगण को 3 कमांडेंट (डब्ल्यूडब्ल्यू) पद को पुनर्स्थापित करके तुरंत वाटर विंग कैडर की कैडर समीक्षा करने का निर्देश दिया जा सके।
>
> (ii) ऐसे और अन्य आदेश और निर्देश पारित करें जो यह माननीय न्यायालय उचित और उचित समझे।"

4.याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सूचित किया जाता है कि याचिकाकर्ता नं.1 का साक्षात्कार लिया गया और वह महानिदेशक के समक्ष उपस्थित हुए और उनके साक्षात्कार के बाद याचिकाकर्ता नं.1को सूचना दिनांक 15.11.2022, जिसका उल्लेख नीचे किया गया हैः

"तदनुसार, एडीजी (एचआर) द्वारा 25 अक्टूबर 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा से अधिकारी का साक्षात्कार लिया गया था। इसका परिणाम यह हुआ है कि वाटर विंग कैडर की कैडर समीक्षा की कार्यवाही के साथ-साथ कैडर समीक्षा प्रस्ताव के मसौदे को संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार की वित्तीय सहमति और बीएसएफ के महानिदेशक की मंजूरी के लिए फाइल पर संसाधित किया गया है, जिसमें कमांडेंट वाटर विंग के 03 पद सृजित करने का प्रस्ताव है। जेएस एंड एफए की वित्तीय सहमति और बीएसएफ के महानिदेशक की मंजूरी के बाद कैडर समीक्षा प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा ।

5. प्रत्यर्थीगण की ओर से अग्रिम नोटिस पर पेश होने वाले विद्वान् अधिवक्ता पर प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि मुद्दा कैडर समीक्षा से संबंधित है, इसलिए अन्य मंत्रालयों की सहमति लेने में पर्याप्त समय लगेगा इसलिए, याचिका का निपटान किया जा सकता है और प्रत्यर्थीगण अंतिम निर्णय लेंगे।

6.तदनुसार, हम प्रत्यर्थीगण को छह महीने के भीतर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश देते हुए वर्तमान याचिका का निपटान करते हैं| यदि याचीगण प्रत्यर्थीगण द्वारा इस प्रकार लिए गए निर्णय से व्यथित हैं, तो वे चुनौती दे सकते हैं उपयुक्त मंच के समक्ष भी प्रस्तुत किया।

7. तदनुसार याचिका का निपटान किया जाता है।

(सुरेश कुमार कैत) न्यायमूर्ति

(नीना बंसल कृष्णा) न्यायमूर्ति

21 मार्च, 2023/वीए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*